

राष्ट्रीय लोक अदालत

कौ
जिला कानून व्यवस्था
भा.सं.सं.

13/8/22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। पत्रावली का डी.के.ए. क्रिया। प्रकरण में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा रक्षम न्यायालय द्वारा तहसील क्रिया जा चुका है, लिहाजा अपीलान्त की यह अपील माफिक राजीनामा स्वीकार की जाके प्रकरण तहसीलदार सितावरी को केरु निर्देश के साथ रिमाण्ड क्रिया जाता है कि पक्षकारान की रक्षमति अनुसार विवादित भूमि को नये शिरे से विभाजन की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्दिष्ट शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हों डी.के.ए. न्यायालय का डी.के.ए. डी.के.ए. आदेशिका की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जावे।

मनोज जोशी

13/08/22.

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मं. 1 काठमेर (राज.)

13/08/22

सदस्य -
लोक अदालत
(उपखण्ड अधिकारी)
काठमेर

